

प्रारूप – झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/12521/GZB/GHAZIABAD/6193/JD

दिनांक- 08.05.2024

प्रमाणित किया जाता है कि GEETA SANJAY MEMORIAL PUBLIC SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता GEETA SANJAY MEMORIAL PUBLIC SCHOOL B BLOCK LOHIA NAGAR GHAZIABAD तहसील गाजियाबाद जिसमें

ब्लॉक / टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	उचाई
BLOCK 1	3	0	11:50 mt.

तथा प्लॉट एरिया 7001sq.mt है भवन का अधिभोग GEETA SANJAY MEMORIAL PUBLIC SCHOOL (भवनस्वामी/अधिभोगी अथवा कंपनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 09-05-2024 को भवन स्वामी के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाणपत्र का नवीनीकरण ;तमदमूस व पिताम - सपमि मिजल बमतजपपिबंजमद्व;एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) शिक्षा के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-05-2024 से 09-05-2027 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

नोट:- यह अनापत्ति प्रमाण निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभिन्यता से वर्ष में न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

यह प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों,सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं

होगा। यह प्रमाण पत्र भूमि /भवन के स्वमित्व/अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।

निर्गत किये जाने का दिनांक: 10-05-2024

स्थान: GHAZIABAD

(शेष नाथ यादव)
अग्निशमन अधिकारी
कोतवाली गाजियाबाद
फायर स्टेशन कोतवाली
गाजियाबाद